प्रश्न सं. [क्र. 1165]

प्रपत्र-अ

विधान सभा तारांकित प्रशन क्रमांक 1165 (संशोधित)
द्वारा माननीय विधायक श्री नारायण त्रिपाठी

रीवा व शहडोल संभाग अंतर्गत म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की विद्युत उत्पादन इकाईयां, कार्यरत कर्मचारी व श्रमिकों की संख्या तथा स्थानीय एवं बाहरी कर्मचारी एवं श्रमिकों के प्रतिशत की जानकारी

क्र.	संभाग का नाम	विद्युत गृह		कार्यरत कर्मचारी व श्रमिकों की जानकारी			कुल कार्यरत में स्थानीय/ बाहरी का प्रतिशत	
		नाम	स्थान	कर्मचारी	श्रमिक	कुल	स्थानीय	बाहरी
1	रीवा	टौंस जल विद्युत गृह -1 (315 मेगावाट)	सिरमौर जिला रीवा	58	27	85	86.35%	13.65%
		टौंस जल विद्युत गृह -2 (30 मेगावाट)	सिलपरा जिला रीवा	37	15	52	85.77%	14.23%
		टौंस जल विद्युत गृह -4 (20 मेगावाट)	झिन्ना जिला सतना	38	15	53	78.49%	21.51%
2	शहडोल	संजय गांधी ताप विद्युत गृह (1340 मेगावाट)	बिरसिंहपुर	895	2003	2898	65.18%	34.82%
		बिरसिंहपुर जल विद्युत गृह (20 मेगावाट)	बिरसिंहपुर					
		अमरकंटक ताप विद्युत गृह (210 मेगावाट)	चचाई	403	777	1180	73.46%	26.54%
		टौंस जल विद्युत गृह -3 (60 मेगावाट)	देवलोंद	24	14	38	40.00%	60.00%

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

प्रपत्र-ब

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1165 (संशोधित)
द्वारा माननीय विधायक श्री नारायण त्रिपाठी

रीवा व शहडोल संभाग अंतर्गत म.प्र.पा.जन.कं.लि. की विद्युत गृहों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व रोजगार की जानकारी

(संजय गांधी ताप विद्युत गृह), बिरसिंहपुर	(अमरकंट ताप विद्युत गृह), चचाई	टोंस जल विद्युत परियोजना, सिरमौर
(1) स.गा.ता.वि.गृह परियो., बिरसिंहपुर हेतु निजी, शासकीय तथा वन भूमि का वर्ष 1980 से 1981 में अधिग्रहण किया गया था। (2) स.गा.ता.वि.गृह परियोजना में डूब क्षेत्र के अंतर्गत कुल 279 परिवार प्रभावित हुए थे, जिन्हें पुर्नवासित करकरकचा-एक, करकचा-दो, ईशनपुरा, मझौली ग्रामों में बसाया गया है। (3) प्रभावित परिवारों में से 68 व्यक्तियों को तत्कालीन म.प्र.विद्युत मण्डल में रोजगार दिया जा चुका है। (4) 20 दुकानों के लिये प्रभावितों को भू-खण्ड के पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। (5) शेष प्रभावित परिवारों के इच्छुक व्यक्तियों को तत्कालीन म.प्र.विद्युत मण्डल में कार्यरत विभिन्न कंपनियों/ठेकेदारों के यहां रोजगार प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा परिचय पत्र भी प्रदान किये गये हैं।	(1) अ.ता.वि.गृह, चचाई की 210 मेगावॉट इकाई की स्थापना हेतु परम्परागत रूप से स्थानीय निवासरत व्यक्तियों, जिसमें कुछ आदिम जनजाति के व्यक्ति भी समाहित हैं, की भूमियों का अधिग्रहण वर्ष 2005 से 2008 के दौरान किया गया था, (2) भूमि स्वामियों को कलेक्टर दवारा पारित अवार्ड के माध्यम से मुआवजा राशि प्रदान की गयी थी तथा किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से उनके पुनर्वास की आवश्यकता नहीं पड़ी। (3) उक्त समय में भूमि-स्वामियों की भूमि के बदले रोजगार देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। उक्त इकाई के निर्माण एवं तदोपरांत संचालन में चल रहे कार्यों में ठेकेदारों के माध्यम से ठेका श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।	(1) टोंस हायडल प्रोजेक्ट की सभी विद्युत इकाईयों की स्थापना के लिये तत्कालीन म.प्र.वि.मंडल दवारा परम्परागत रूप से निवासरत व्यक्तियों की भूमियों का अधिग्रहण किया गया था एवं वनवासियों की भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था। (2) परम्परागत रूप से निवासरत व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भूमियों/संपत्तियों का मुआवजा तत्समय में सभी विस्थापितों को व्यवस्थापन भत्ता दिया गया व अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिये पुनर्वास की व्यवस्था की गयी।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल